कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,वन एवं वन्य जीव प्रभाग,बरेली।

पत्रांक 3345 /14– 1,बरेली,दिनांक, 22 फरवरी, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त,बरेली।

विषयः– जनपद बरेली में बरेली–बदायूँ कैण्ट मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Road/147420/2021)

महोदय,

लोक निर्माण विभाग,बरेली के स्तर से जनपद बरेली में बरेली–बदायूँ कैण्ट मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव ऑन लाईन/ऑफलाईन प्राप्त हुआ है।

वन **(संरक्षण)** अधिनियम–1980 के अन्तर्गत 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सलोकेट हेतु प्रस्ताव **04 मूल प्रतियों** में सहमति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नही होगा। कृपया विषयक प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी,उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रेषित करने की कृपा करे।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली–बदायूँ कैण्ट मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव का अधोहस्ताक्षरी द्वारा भली–भॉति परीक्षण कर लिया गया है तथा यह प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है तथा प्रस्ताव में समस्त वॉछित अभिलेख/सूचनायें संलग्न है।

संलग्नकः– यथोपरि 4 मूल प्रस्ताव।

भवदीय,

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक /14–1,दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग,बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

(F/-(Surveyor सर्वेयर) FLT- Bareilly-Budaun Lal Fatak - Atv)